न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदर्श ढूंढा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.बलवीर पुत्र भारमलराम जाति माली, निवासी–इन्द्रा कॉलोनी, बाडमेर 2. प्रकाश पुत्र श्यामलाल, जाति माली, निवासी–जवाहर चौक, बाडमेर 3. किशनसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी– लक्ष्मी नगर, तहसील व जिला बाड़मेर		1.चम्पालाल पुत्र गिरधारीराम 2. लुणाराम पुत्र गिरधारीराम जातियान माली, निवासीयान–उत्तरलाई तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–899/2018 **दिनांक–15.11.2021**

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा उत्तरलाई पटवार हल्का कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 315/10 रकबा 1.18 बीघा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 350/10 रकबा 0.16 बीघा कुल रकबा 1.34 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदां किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6336-6339 दिनांक– 15/11/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी बलवीर पुत्र भारमलराम जाति माली निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी चंपालाल पुत्र गिरधारीराम जाति माली निवासी उत्तरलाई तहसील व जिला बाड़मेर

क्रम.संख्या 1 से 3 से प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर